


फर्द अहकाम					
कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर					
प्रार्थी :- श्रीमती लोगरी			विपक्षी :- मांगु		
किस्म मुकदमा - 53,188 रा.का.अ.			पत्रावली संख्या : 70/13		
क्रमांक	कार्यवाही विवरण				अवकाश काल आरंभ तिथि समाप्त तिथि
	<p>दिनांक : 15.01.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारा बस्ती के नाम भूमि होने से सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त हुए हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा बंटवाडे को स्वीकार किया है। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के नाम भूमि नहीं होने से इनके खिलाफ कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुण्डाल पटवार हल्का नाहरमगरा की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-</p>				
क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	लोगरी पिता अम्बावा भील निवासी खेमली हाल डबोक तह. मावली खातेदार	3948/1440/1	0.06	बा.प्र.	0.27
	योग	किता 1	0.06	-	0.27
2	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारा बस्ती नाहरमगरा	3948/1440 मी.	1.00	बा.प्र.	0.90
	योग	किता 1	1.00	-	0.90
<p>नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (अक्षय गोदारा (IAS)) सहायक कलक्टर (SDO)मावली </div>					

अंतिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री अक्षय गोदारा, I.A.S

मुकदमा नम्बर : 70/13 (वाद)

उनवान

1. श्रीमती लोगरी पुत्री अम्बावा पत्नी मांगीलाल भील निवासी डबोक तह. मावली।
.....वादी

बनाम

1. श्री मांगु पिता अम्बावा भील निवासी खेमली तह. मावली।
2. श्रीमती प्यारी पत्नी अम्बावा भील निवासी खेमली तह. मावली।
3. श्रीमती धापु पिता अम्बावा पत्नी धुल्ला भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा, तह. मावली।
6. उप पंजीयक कार्यालय मावली तह. मावली।
7. राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारा बस्ती, धुणीमाता तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सं. 7 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.01.2020 को अक्षय गोदारा, I.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि मौजा कुंडाल पटवार हल्का नाहरमगरा की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. स	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	फिस्म	लगान
1	लोगरी पिता अम्बावा भील निवासी. खेमली हाल डबोक तह. मावली खातेदार	3948/1440/1	0.06	बा.प्र.	0.27
	योग	किता 1	0.06	-	0.27
2	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारा बस्ती नाहरमगरा	3948/1440 मी.	1.00	बा.प्र.	0.90
	योग	किता 1	1.00	-	0.90

नोट-उक्त अंतिम डिकी का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(अक्षय गोदारा, I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली